न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम :सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

प्रार्थना–पत्र सं0 : 61 सन 2019

अनवान :–

1. महपतराम पुत्र अनाराम जाति बांवरी निवासी बिरकाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. दलवीर पुत्र कासीराम जाति बांवरी निवासी बिरकाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3. रामरख पुत्र तारूराम जाति बांवरी निवासी बिरकाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ

सायलान

बनाम

1. जीवनराम पुत्र अनाराम जाति बावरी निवासी बिरकाली तहसील नोहर
2. रामलाल पुत्र अनाराम जाति बावरी निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
3. चेतराम 4 रामचन्द्र 5 फुलाराम 6 चिमनाराम 7 पतराम पि0 भूराराम जाति बांवरी निवासी बिरकाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।
9. उप पंजीयक नोहर तहसील नोहर।

गैर सायल

प्रार्थना–पत्र 212 आरटीए बाबत
अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :-- श्री मागेराम गोदारा अधिवक्ता सायलान
श्री हवासिह पुनिया अधिवक्ता गैरसायलान

निर्णय दिनांक :– 14/02/2020

संक्षेप रूप में तथ्य इस प्रकार है कि सायल ने विरूद्ध गैर सायल प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट इस आशय का पेश किया कि सायलान व गैरसायलान की संयुक्त खाते की खातेदारी भूमि चक 7 पीपीएम के खाता संख्या 23/17 के प0न0 96/61(27) किला न0 15 ,16 ,25 ,/0.759हैक , खाता संख्या 44/44 के प0न0 116/12(22) किला न0 14 ता 19 ,21/2 से 25/2 की 2.9090हैक रोही मौजा बिरकाली बारानी के खाता संख्या 371/489 के प0न0 116/5 (264) किला न0 1 ता 9 ,14 ता 16 ,25 की 3. 2390हैक प0न0 116/13(265) किला न0 1 ,2/1 ,3 ता 7 ,8/1 ,9/2 ,10 ,11 ,12/2 ,13/1 ,14 ता 16 ,17/1 ,18/1 ,19 ता 23 ,24/2 की कुल 5.5020हैक प0न0 116/21(266) किला न0 1/1 ,10/2 ,11/1 ,12/0.8610हैक प0न0 116/14(319) किला न0 1 ता 3/0.759 ,कुल 44 किला की 10.4110हैक खाता संख्या 370/232 के प0न0 116/5(264) किला न0 10 ता 13 ,17 ता 24 की 3.0360हैक प0न0 116/14(319) किला न0 9 ता 12 ,20 ,21/2 की 1.7200हैक प0म0 116/6(320) किला न0 1 ता 20 ,21/2 ,22/2 ,23/2 ,24/1 ,25/1 की कुल 6.0720हैक प0न0 96/62 (321) किला न0 5 ,6/0.506 प0न0 96/63 (350) किला न0 5 ,6/0.506 प0न0 116/7(351) किला न0 1/2 ,2 ता 4/0.9870हैक कुल 12.8270हैक भूमि जिसमें सायलान व गैरसायल न0 1 ,2 का सयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा , सायल न0 2 व प्रतिवादी संख्या 9 ता 11 का सयुक्त तौर से 1/8 हिस्सा , सायल न0 3 तथा प्रतिवादी संख्या 12 ,13 सयुक्त तौर से 1/6 हिस्सा , गैरसायल संख्या 3 ता 7 सयुक्त तौर से 1/6 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 8 का 1/24 हिस्सा वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

सायल संख्या 1 का मुताबिक हक हिस्सा तथा मुताबिक जमाबन्दी के सभी खातों में अलग अलग रूप से 1/6 हिस्सा सायल न0 2 का 1/24 हिस्सा सायल न0 3 का 1/18 हिस्सा प्रत्येक खाते में बनता है भूमि शामिल खाते की होने के कारण हमेशा लडाई झगडा की सम्भावना बनी रहती है ना ही भूमि का समतल व उपजाउ बना सकते है इसलिये मुताबिक हक हिस्सा अच्छ में से अच्छी व माडी में माडी के अनुसार खाता व लगान अलग अलग दर्ज करवाने के अधिकारी है

वर्तमान में भूमि शामिल खाते की होने के कारण गैरसायल जबरीया अच्छी किस्म की भूमि पर मकान का निर्माण करके बिजली का कनैक्शन लेना चाहते है ताकि वे अच्छी किस्म की भूमि पर कब्जा करके अजनबी लोगो को बेचान कर सकता है जिससे मुकदमें

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर

वकील गैरसायल न0 1 ,3 ,4 ,6 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने जबाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में सायलान एवं गैरसायलान के नाम सयुक्त खाता में दर्ज है जिसमें जबाब प्रार्थना की मद संख्या 2 के अनुसार हक हिस्सा है।

सायलान एवं गैरसायलान ने विवादित भूमि की काश्त की सुविधा के मध्यनजर आपसी सहमति से बाहमी बटवारा कर रखा है उसी बटवारा के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है काश्त की सुविधा के लिये विधुत टयूवैल ले रखे है एवं ढाणी बना रखी है इसलिये गैरसायलान भी विवादित भूमि में मुताबिक हक हिस्सा मुताबिक कब्जा काश्त प्रस्ताव मंगवाये जाकर खाता व लगान अलग अलग करवानें के अधिकारी है।

सायल न0 1 महपतराम , एवं सायल न0 2 के सगे भाई कालूराम एवं सायल न0 3 के पिता तारूराम को बाहमी बटवारा में प्राप्त भूमि पर विधुत कनेक्शन लेकर टयूवैल लगा रखा है जो मोके पर चालू है इसी प्रकार गैरसायल न0 1 जीवनराम , एवं गैरसायल न0 2 रामलाल ने भी अपनी बाहमी बटवारा की भूमि में विधुत कनैक्शन लगा रखा है जो मौके पर चालू है गैरसायल न0 3 चेतराम ने अपनी बाहमी बटवारा मे प्राप्त कब्जा काश्त की भूमि में ढाणी बना रखी है जिसमें परिवार सहित आबाद है एवं अपनी बाहमी बटवारा में प्राप्त भूमि में विधुत टयूवैल लगा रखा है जिसे विधुत कनैक्शन के अभाव में जनरेटर से चलाया जा रहा है वर्तमान में गैरसायल न0 3 का विधुत कनैक्शन स्वीकृत हो चुका है जिसके लिये विधुत पोल व तारों की खिचाई हो चुकी है केवल ट्रासमीटर लगाया जाना शेष है जिसको नही लगाने के उदेशय से आपसी नाराजगी के कारण गैरसायल न0 3 का तग व परेशान करने की नियत से प्रार्थना पत्र पेश कर स्थगन प्राप्त किया गया है गैरसायल रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है जिसका अपनी खातेदारी भूमि बेचान करने का कोई ईरादा नही है मात्र अपने प्रार्थना पत्र को रंगत देने के लिये भूमि बेचान का कथन किया गया है।

सायलान ने प्रतिवादी संख्या 11 को बवजह पक्षकार बनाया गया हे एवं प्रतिवादी संख्या 13 फोत हो चुका है मृतक के विरूद्व वाद नही चल सकता है एवं चक 7 पीपीएम के अन्य सहकाश्तकारों को भी पक्षकार नही बनाया गया है दावा खाता तकसीम का है आवश्यक पक्षकारों के अभाव में दावा नही चल सकता है गैरसायलान एक रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है जिसके विरूद्व अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है केवल गैरसायल को परेशान करने की नियत से वाद पेश किया गया है जो खारीज योग्य है सायलान का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया यह तथ्य तो वाद में साक्ष्य सबुतों के आधार पर तय होगा की वाद भूमि में सायलान एंव गैरसायलान एवं अन्य मुश्तरका खातेदार काश्तकारों का हक हिस्सा किसप्रकार से होगा एवं किसप्रकार से वाद भूमि का खाता व लगान राजस्व रिकार्ड में अलग अलग दर्ज करवा पाने के अधिकारी है प्रार्थना पत्र यह देखा जाना है कि प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति का बिन्दु किसके पक्ष में है।

प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार वाद भूमि रोही मौजा चक 7 पीपीएम के खाता संख्या 23/17 की 0.759हैक , खाता संख्या 44/44 की 2.9090हैक रोही मौजा बिरकाली बारानी के खाता संख्या 371/489 की 10.4110हैक खाता संख्या 370/232 की कुल 12. 8270हैक भूमि जिसमें सायलान व गैरसायल न0 1 ,2 का सयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा , सायल न0 2 व प्रतिवादी संख्या 9 ता 11 का सयुक्त तौर से 1/8 हिस्सा , सायल न0 3 तथा प्रतिवादी संख्या 12 ,13 सयुक्त तौर से 1/6 हिस्सा , गैरसायल संख्या 3 ता 7 सयुक्त तौर से 1/6 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 8 का 1/24 हिस्सा वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है अर्थात सायलान एवं गैरसायलान मुश्तरका रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है जिसके कारण प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का सन्तुलन दोनो पक्षों के समान है।

सायलान का कथन है कि गैरसायलान वाद भूमि में निर्माण कर विधुत कनैक्शन लेकर अच्छी किस्म की भूमि बेचान करने पर उतारू है सही प्रतित नही होता प्रथम तो मुश्तरका खातेदार काश्तकार मुश्तरका भूमि का कोई विशेष भू0 भाग का बेचान ही नही कर सकता केवल हिस्सा का बेचान कर सकता है।

गैरसायलान का कथन है वाद भूमि का बाहमी बटवारा हुआ है जिसके अनुसार सायलान ने हक हिस्सा की भूमि पर विधुत कनैक्शन ले रखे है गेरसायलान के कथनों के प्रतिउत्तर में सायलान ने कोई कथन नही अंकित या व्यक्त किये जिससे प्रतित होता है कि सायलान ने वाद भूमि में विधुत कनैक्शन नही लिया है पत्रावली में भी बार बार प्रार्थना पत्र विधुत कनैक्शन के सम्बध में पेश होना उक्त कथनों की पुष्टि करता है।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)

बाजी बढेगी एवं सायलान को ना पुरा होने वाला नुकसान होगा इसलिये सायलान गेरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द करवाने के अधिकारी है कि वह वाद भूमि की रिकार्ड एवं मौका की यथास्थिति बनाये रखे एवं मकान एवं बिजली का कनेक्शन नही लेने हेतु पाबन्द रहे सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे।

सायलान का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर गेरसायल को जरिये नोटिस तलब किया गया गैरसायल संख्या 2 व 5 सुचना उपरान्त उपस्थित नही आने पर एक पक्षिय कार्यवाही की गई प्रतिवादी संख्या 1 ,3, 4 ,6 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित होकर सायलान के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए जबाब प्रार्थना पेश किया की

सायलान एवं गैरसायलान ने विवादित भूमि की काश्त की सुविधा के मध्यनजर आपसी सहमति से बाहमी बटवारा कर रखा है उसी बटवारा के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है काश्त की सुविधा के लिये विधुत टयूवैल ले रखे है एवं ढाणी बना रखी है इसलिये गैरसायलान भी विवादित भूमि में मुताबिक हक हिस्सा मुताबिक कब्जा काश्त प्रस्ताव मंगवाये जाकर खाता व लगान अलग अलग करवानें के अधिकारी है।

सायल न0 1 महपतराम , एवं सायल न0 2 के सगे भाई कालूराम एवं सायल न0 3 के पिता तारूराम को बाहमी बटवारा में प्राप्त भूमि पर विधुत कनेक्शन लेकर टयूवैल लगा रखा है जो मोके पर चालू है इसी प्रकार गैरसायल न0 1 जीवनराम , एवं गैरसायल न0 2 रामलाल ने भी अपनी बाहमी बटवारा की भूमि में विधुत कनैक्शन लगा रखा है जो मौके पर चालू है गैरसायल न0 3 चेतराम ने अपनी बाहमी बटवारा मे प्राप्त कब्जा काश्त की भूमि में ढाणी बना रखी है जिसमें परिवार सहित आबाद है एवं अपनी बाहमी बटवारा में प्राप्त भूमि में विधुत टयूवैल लगा रखा है जिसे विधुत कनैक्शन के अभाव में जनरेटर से चलाया जा रहा है वर्तमान में गैरसायल न0 3 का विधुत कनैक्शन स्वीकृत हो चुका है जिसके लिये विधुत पोल व तारों की खिचाई हो चुकी हैं केवल ट्रासमीटर लगाया जाना शेष है जिसको नही लगाने के उदेशय से आपसी नाराजगी के कारण गैरसायल न0 3 का तग व परेशान करने की नियत से प्रार्थना पत्र पेश कर स्थगन प्राप्त किया गया है गैरसायल रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है जिसका अपनी खातेदारी भूमि बेचान करने का कोई ईरादा नही है मात्र अपने प्रार्थना पत्र को रंगत देने के लिये भूमि बेचान का कथन किया गया है।

सायलान ने प्रतिवादी संख्या 11 को बवजह पक्षकार बनाया गया हे एवं प्रतिवादी संख्या 13 फोत हो चुका है मृतक के विरूद्व वाद नही चल सकता है एवं चक 7 पीपीएम के अन्य सहकाश्तकारों को भी पक्षकार नही बनाया गया है दावा खाता तकसीम का है आवश्यक पक्षकारों के अभाव में दावा नही चल सकता है गैरसायलान एक रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है जिसके विरूद्व अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है केवल गैरसायल को परेशान करने की नियत से वाद पेश किया गया है जो खारीज योग्य है सायलान का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

गेरसायलान का जबाब शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गई

वकील सायलान के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की सायलान एवं गैरसायलान सयुक्त खातेदार काश्तकार है जिसमें सायलान व गैरसायल न0 1 ,2 का सयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा , सायल न0 2 व प्रतिवादी संख्या 9 ता 11 का सयुक्त तौर से 1/8 हिस्सा , सायल न0 3 तथा प्रतिवादी संख्या 12 ,13 सयुक्त तौर से 1/6 हिस्सा , गैरसायल संख्या 3 ता 7 सयुक्त तौर से 1/6 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 8 का 1/24 हिस्सा वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

सायल संख्या 1 का मुताबिक हक हिस्सा तथा मुताबिक जमाबन्दी के सभी खातों में अलग अलग रूप से 1/6 हिस्सा सायल न0 2 का 1/24 हिस्सा सायल न0 3 का 1/18 हिस्सा प्रत्येक खाते में बनता है भूमि शामिल खाते की होने के कारण हमेशा लडाई झगडा की सम्भावना बनी रहती है ना ही भूमि का समतल व उपजाउ बना सकते है इसलिये मुताबिक हक हिस्सा अच्छ में से अच्छी व माडी में माडी के अनुसार खाता व लगान अलग अलग दर्ज करवाने के अधिकारी है

वर्तमान में भूमि शामिल खाते की होने के कारण गैरसायल जबरीया अच्छी किस्म की भूमि पर मकान का निर्माण करके बिजली का कनैक्शन लेना चाहते है ताकि वे अच्छी किस्म की भूमि पर कब्जा करके अजनबी लोगो को बेचान कर सकता है जिससे मुकदमें बाजी बढेगी एवं सायलान को ना पुरा होने वाला नुकसान होगा इसलिये सायलान गेरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द करवाने के अधिकारी है कि वह वाद भूमि की रिकार्ड एवं मौका की यथास्थिति बनाये रखे एवं मकान एवं बिजली का कनैक्शन नही लेने हेतु पाबन्द रहे सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
ओएर

सायलान द्वारा ग्राम पंचायत बिरकाली की आम मिटिग एवं सहमति पत्र की प्रति पेश की गई है जिसमें खाता विभाजन ना हो तब तक जमीन में कोई नया कार्य नही करेगे एवं अन्य सहमति में खाता विभाजन होना अंकित किया गया है जिसमे भूमि देना लेना पर सहमति हुई है विधुत कनैक्शन लेना कृषि भूमि पर नया कार्य की श्रेणी में नही आता क्योकि सायलान के द्वारा भी वाद भूमि में विधुत कनैक्शन लगाये गये है एवं बाहमी बटवारा होना गैरसायलान भी स्वीकार करते है

यह तथ्य तो वाद में तय किया जावेगा की वाद भूमि का पूर्व में बाहमी बटवारा हुआ है या नही एवं मुश्तरका भूमि का खाता विभाजन किस प्रकार से होगा विधुत कनैक्शन वाद भूमि में होने से किसी प्रकार टिनेन्ट हक (राईट) मुश्तरका खातेदार को प्राप्त नही होते है मात्र कृषि भूमि पर अस्थाई सुविधा प्राप्त होती है जो कभी भी स्थानान्तरण करवाई जा सकती है मात्र विधुत कनैक्शन ना हो इसके आधार पर रिकार्डेड खातेदार को पाबन्द किया जाना न्यायोचित नही है

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में सायलान एवं गैरसायलान व अन्य काश्तकारों के नाम मुश्तरका खाते में दर्ज है अर्थात दोनो ही पक्षकार रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है रिकार्डेड खातेदार काश्तकार को मात्र इस कथन के आधार पर रिकार्डेड खातेदार को पाबन्द किया जाना न्यायोचित नही हे

उपरोक्त विवेचन अनुसार अपूर्णीय क्षति का बिन्दु गैरसायलान के पक्ष में होने के कारण सायला का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही होने के कारण खारीज किया जाता है तथा दिनांक 28.08.2019 को वाद भूमि पर जारी की गई अस्थाई निषेधाज्ञा निरस्त की जाती है व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीबी तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 14/2/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरेईजलास सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
नोहर(हनुमानगढ)